पंजाब नैशनल बैंक pnb punjab national bank

.....भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) ...the name you can BANK upon!

सर्कल सस्त्र सेन्टर गुरूग्राम, प्लॉट नं. 5, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर–32, गुरूग्राम
ईमेलः– cs8230@pnb.co.in

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु) [नियम 8(1)]

जबकि, **पंजाब नैशनल बैंक, सर्कल सस्त्र सेन्टर, गुरूग्राम, प्लॉट नं. 5, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर–32, गुरूग्राम** के प्राधिकृत अधिकारी की क्षमता से अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (यहाँ आगे ''उक्त अधिनियम'' कहा गया है) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर **20.05.2024** को मांग सूचना जारी की थी जिसमें **अशोक कुमार वर्मा पुत्र कुंदन लाल वर्मा** (कर्जदार) पता– मकान नं. 278/3(पुराना) 265/25(नया) 4 मारला, मॉडल टाउन, गुरूग्राम–122001 और **श्रीमती गीता वर्मा पत्नी श्री अशोक कुमार वर्मा** (कर्जदार), पता– मकान नं. 278/3(पुराना) 265/25(नया) 4 मारला, मॉडल टाउन, गुरूग्राम–122001 से सूचना में उल्लिखित राशि **रु. 10,42,779.19/– (रुपये दस लाख बयालीस हजार सात सौ उनहासी और उन्नीस पैसा मात्र) (19.05.2024 तक ब्याज शामिल)** को उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत आगे की ब्याज, व्यय एवं अन्य प्रभारों सहित उक्त सूचना की तारीख/उक्त सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर चुकता करने के लिए कहा गया।

कर्जदार/जमानती द्वारा राशि अदा न कर पाने पर एतद्द्वारा कर्जदार/जमानती और सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का **7 नवंबर, 2024** को कब्जा ले लिया है।

प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समयावधि में अधिनियम की धारा–13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

विशेष रूप से कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता और सर्व साधारण को सामान्य रूप में संपत्ति से कोई भी लेन–देन न करने के लिए आगाह किया जाता है तथा उक्त संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन **रु. 10,42,779.19/– (रुपये दस लाख बयालीस हजार सात सौ उनहासी और उन्नीस पैसा मात्र) और** आगे की ब्याज, व्ययों एवं अन्य प्रभारों आदि के लिए पंजाब नैशनल बैंक के प्रभार के अधीन होगा।

चल/अचल संपत्ति का विवरणः–

श्री अशोक कुमार वर्मा पुत्र कुंदन लाल वर्मा के नाम में आईपी मकान नं. 278/3(पुराना) 265/25(नया) 4 मारला, मॉडल टाउन, गुरूग्राम–122001, कुल एरिया 106 वर्ग गज का न्यायसंगत बंधन।

दिनांकः 07.11.2024 स्थानः गुरूग्राम **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक**

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम — एक परिवार एक बैंक

बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नागलोई शाखा, रोहिल्ला कॉम्प्लेक्स, मकान. नं. 530, नजफगढ़ रोड, नांगलोई, नई दिल्ली–110041

ई-मेलः bom1744@mahabank.co.in; मुख्य कार्यालयः लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे– 411005

स्वर्ण ऋण नीलामी सूचना

नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे ऋण खातों में देयता का भुगतान करने में विफल रहे हैं। इसलिए उनसे अनुरोध है कि वे देयता और अन्य शुल्कों का भुगतान करें और 18.11.2024 तक गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों को विमोचित करें, जिसमें विफल होने पर उक्त प्रतिभूतियों को बैंक द्वारा 19.11.2024 को सुबह 11:30 बजे बैंक परिसर में कर्जदार की लागत पर सार्वजनिक नीलामी में या उसके बाद किसी अन्य सुविधाजनक तिथि पर बैंक के पूर्ण विवेक पर बिना किसी सूचना के बेचा जाएगा। सोने के आभूषणों की खरीद में रुचि रखने वाले पक्ष नीलामी में भाग ले सकते हैं।

क्र. सं.	शाखा पता	ऋण की तिथि	ऋण खाता सं.	कर्जदार का नाम एवं पता	नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य
1.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नागलोई शाखा, रोहिल्ला कॉम्प्लेक्स, मकान. नं. 530, नजफगढ़ रोड, नांगलोई, नई दिल्ली–110041 मोबाइल नं. 6294368690	18.03.2024	60484694824	श्रीमती सुमन गुप्ता मकान नंबर – 39, गली नंबर 2, केएच नंबर 1/25, ध्रुव एन्क्लेव, किरारी सुलेमान नगर, दिल्ली 110086	नीलामी की तिथि यानि 19.11.2024 को प्रचलित सोने की दर के अनुसार

नोटः 1. गिरवी रखे गए सोने/आभूषणों की नीलामी का समय 19.11.2024 को सुबह 11.30 बजे से बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नांगलोई शाखा में है।

हस्ता./–
शाखा प्रबंधक
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
नांगलोई (शाखा)

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 08.11.2024

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

अंचल कार्यालय : गाजियाबाद अंचल, पताः बी-32, सेक्टर-62, नोएडा-201307

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम (सरफासी ऐक्ट) 2002 के अंतर्गत प्रतिभूतिहित नियम 2002 के नियम 13(2) के अन्तर्गत यह सूचना जारी की जाती है।

यह मांग सूचना वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियो के अंतर्गत निम्नलिखित कर्जदारों/ गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि आपको जो हाउसिंग लोन की स्वीकृत हुई थी उसमें बकाया राशि को मांग सूचना की तिथि **11-03-2024** बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान कर दें। हमने निम्नलिखित पते पर जो कि बैंक के रिकार्ड में हैं पर सूचित किया है परन्तु वापस आ गए हैं। अतः यह सूचना प्रकाशित की गई है।

यह सूचना आपके ऋण खाते में मूल एवं ब्याज के न चुकाने के कारण जारी की जा रही है एवं आर. बी. आई के दिशा–निर्देशों के अनुसार आपके खाते में देय बैंक द्वारा एन.पी.ए. के रुप में वर्गीकृत कर दिया गया है।

यदि आप नीचे दर्शाई गयी राशि भविष्य में लगने वाले ब्याज एवं अन्य खर्चों आदि के साथ, धारा 13(2) के मांग सूचना पत्र के अनुसार बैंक को चुकाने में असमर्थ रहते हैं तो बैंक उपरोक्त एक्ट की धारा 13 के उपनियम 4 के अंतर्गत प्राप्त सभी या किसी भी प्रदत्त अधिकार का उपयोग खाते में वसूली हेतु कर सकता है। कृपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (8) के अनुसार, सुरक्षित परिसंपत्तियों के रिडेम्प्शन का अधिकार केवल सार्वजनिक नीलामी के लिए नोटिस के प्रकाशन की तारीख तक या सार्वजनिक या निजी संधि से हस्तांतरण के लिए उद्धरण या सुरक्षित परिसंपत्तियों के पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री निविदा आमंत्रित करने तक ही उपलब्ध होगा

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि धारा 13 की उप धारा 13 के अंतर्गत आप निम्नांकित सम्पत्तियों का बैंक से पूर्व लिखित स्वीकृती के बिना संबंधित सौदा न करें (जैसे कि संपत्ति को बेचना, पटटे पर देना या किसी और तरीके से)। यह सूचना बैंक बिना किसी पुर्वाग्रह के जारी कर रहा है एवं बैंक डी.आर.टी. अथवा अन्य किसी न्यायालय में विधिक कार्यवाही कर सकता है।

कर्जदार/गारन्टर के नाम एवं पता	बंधक/दृष्टिबंधक संपत्ति का विवरण	बकाया राशि (रुपये में)
मैसर्स भोलानाथ इंडस्ट्रीज इसके पार्टनर्स द्वारा पताः गाटा सं. –40, ग्राम– हैदरपुर, तहसील एवं जिला– संभल यूपी–244001 **श्री राजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री भोला शंकर शर्मा** पताः– सूर्य नगर, लाइन पार, मुरादाबाद यूपी–244001 (पार्टनर) **श्री गौरव शर्मा पुत्र श्री भोला शंकर शर्मा,** पताः सूर्य नगर, लाइन पार, मुरादाबाद यूपी–244001 (पार्टनर) **श्रीमती रत्नेश शर्मा पत्नी विजय कुमार शर्मा,** पताः हाफिजपुर, तहसील एवं जिला– संभल यूपी–244301 (पार्टनर–बंधककर्ता) **Term Loan (A/C- 780070210000001), WCTL (A/C- 7800704100000151) & FITL (A/C 780070410000169) मांग सूचना की तारीख : 11-03-2024, एनपीए की तिथि : 28-08-2022**	**1. प्लांट एवं मशीनरी का दृष्टिबंधक 2. औद्योगिक प्लॉट / भवन का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि गाटा सं. 40, गांव– हैदरपुर, तहसील एवं जिला–संभल यूपी–244001 (बिक्री विलेख क्रमांक–5357 दिनांक 29.04.2014), क्षेत्रफल 1280.00 वर्ग मी. यह सम्पत्ति श्रीमती रत्नेश शर्मा पत्नी श्री विजय कुमार शर्मा (पार्टनर–बंधककर्ता) के नाम पर है। चौहद्दीः उत्तर में – गाटा सं. सं. 39 में चक मार्ग, दक्षिण में – गाटा सं. 40 के स्वामी की शेष भूमि, पूरब में – हाफिजपुर गाटा सं. 206 की सड़क, पश्चिम में – गूल एनजेडए गाटा सं. 53**	**रु. 41,06,894.02 (रु. इकतालीस लाख छह हजार आठ सौ चौरान्वे और पैसे दो) (नोटिस की तिथि तक संविदात्मक बकाया) और भविष्य का ब्याज इत्यादि**

दिनांक : 11-03-2024, स्थान : नोएडा **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया (मुरादाबाद मुख्य शाखा)**

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

अंचल कार्यालय : गाजियाबाद अंचल, पताः बी-32, सेक्टर-62, नोएडा-201307

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम (सरफासी ऐक्ट) 2002 के अंतर्गत प्रतिभूतिहित नियम 2002 के नियम 13(2) के अन्तर्गत यह सूचना जारी की जाती है।

यह मांग सूचना वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियो के अंतर्गत निम्नलिखित कर्जदारों/ गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि आपको जो हाउसिंग लोन की स्वीकृत हुई थी उसमें बकाया राशि को मांग सूचना की तिथि **29-10-2024** बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान कर दें। हमने निम्नलिखित पते पर जो कि बैंक के रिकार्ड में हैं पर सूचित किया है परन्तु वापस आ गए हैं। अतः यह सूचना प्रकाशित की गई है।

यह सूचना आपके ऋण खाते में मूल एवं ब्याज के न चुकाने के कारण जारी की जा रही है एवं आर. बी. आई के दिशा–निर्देशों के अनुसार आपके खाते में देय बैंक द्वारा एन.पी.ए. के रुप में वर्गीकृत कर दिया गया है।

यदि आप नीचे दर्शाई गयी राशि भविष्य में लगने वाले ब्याज एवं अन्य खर्चों आदि के साथ, धारा 13(2) के मांग सूचना पत्र के अनुसार बैंक को चुकाने में असमर्थ रहते हैं तो बैंक उपरोक्त एक्ट की धारा 13 के उपनियम 4 के अंतर्गत प्राप्त सभी या किसी भी प्रदत्त अधिकार का उपयोग खाते में वसूली हेतु कर सकता है। कृपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (8) के अनुसार, सुरक्षित परिसंपत्तियों के रिडेम्प्शन का अधिकार केवल सार्वजनिक नीलामी के लिए नोटिस के प्रकाशन की तारीख तक या सार्वजनिक या निजी संधि से हस्तांतरण के लिए उद्धरण या सुरक्षित परिसंपत्तियों के पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री निविदा आमंत्रित करने तक ही उपलब्ध होगा

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि धारा 13 की उप धारा 13 के अंतर्गत आप निम्नांकित सम्पत्तियों का बैंक से पूर्व लिखित स्वीकृती के बिना संबंधित सौदा न करें (जैसे कि संपत्ति को बेचना, पटटे पर देना या किसी और तरीके से)। यह सूचना बैंक बिना किसी पुर्वाग्रह के जारी कर रहा है एवं बैंक डी.आर.टी. अथवा अन्य किसी न्यायालय में विधिक कार्यवाही कर सकता है।

कर्जदार/गारन्टर के नाम एवं पता	बंधक/दृष्टिबंधक संपत्ति का विवरण	बकाया राशि (रुपये में)
श्रीमती बीरवती पत्नी श्री राकेश कुमार, पता–1: ए–244, बीता–1, बिरौंडी चक्रसेनपुर, जीबी नगर यूपी–201310, पता–2: मकान नं. सी–04, विधि विहार, सहकारी आवास समिति लिमिटेड, प्लॉट नं. 1 और 2, सेक्टर– पाई, ग्रेटर नोएडा, जीबी नगर यूपी–201310 (उधारकर्ता– बंधककर्ता) **श्री राकेश कुमार पुत्र श्री भागवत सिंह पता–1: ए–244, बीटा–1, बिरौंडी चक्रसेनपुर, जी बी नगर यूपी–201310 पता–2: मकान नं. सी–04, विधि विहार, सहकारी आवास समिति लिमिटेड, प्लॉट नं. 1 और 2, सेक्टर– पाई, ग्रेटर नोएडा, जी बी नगर यूपी–201310 (सह–उधारकर्ता)** **Housing Loan (A/c 711075110000033) & Personal Loan (A/c 711060110000024) मांग सूचना की तारीख : 29-10-2024, एनपीए की तिथि : 29-10-2024**	**रिहायशी भवन का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी भवन मकान सं. सी–04, विधि विहार सहकारी आवास समिति लि., प्लॉट सं. 1 व 2, सेक्टर–पीआई, ग्रेटर नोएडा, जी बी नगर यूपी–201310 में स्थित, जिसका क्षेत्रफल 125 वर्ग मी. (कवर्ड एरिया 97.65 वर्ग मी. मुम्टी सहित) यह सम्पत्ति श्रीमती बीरवती पत्नी श्री राकेश कुमार (उधारकर्ता –बंधककर्ता) के नाम पर है, इसकी चौहद्दीः उत्तर–पूरब में – 9.00 मी. चौड़ी सड़क, दक्षिण–पूरब में – प्लॉट सं. सी–03, उत्तर–पश्चिम में – प्लॉट सं. सी–05, दक्षिण–पश्चिम में – 12.00 मी. चौड़ी सड़क**	**रु. 24,13,709.07 (रु. चौबीस लाख तेरह हजार सात सौ नौ और पैसे सात) और रु. 99,499.75 (रु. निन्यान्वे हजार चार सौ निन्यान्वे और पैसे पिचहत्तर) (कुल राशि रु. 25,13,208.82 (रु. पच्चीस लाख तेरह हजार दो सौ आठ और पैसे ब्यासी) (नोटिस की तिथि तक संविदात्मक बकाया) और भविष्य का ब्याज इत्यादि**

दिनांक : 29-10-2024, स्थान : नोएडा **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया (सैक्टर–50 शाखा)**

Bank of India — Relationship beyond banking

सम्पत्तियों की ई–नीलामी बिक्री सूचना : 09.12.2024
गाजियाबाद ज़ोन, बी–32, सैक्टर–62, नोएडा–201307
फोनः 0120-2404135

चल/अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

परिशिष्ट - IV-A नियम 8(6) के प्रावधानों के तहत

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन, अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का रचनात्मक /भौतिक कब्जा, बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार), के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर दिनांक **09.12.2024** को (पूर्वा. 11.00 बजे से अपरा. 04.00 बजे) को बेचा जाएगा।

ईएमडी/दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि **07.12.2024.** है। इच्छुक खरीदार अपने नाम पोर्टल **https://www.ebkray.in/eauction-psb/bidder-registration** पर पंजीकृत करवाएंगे। और ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ईएमडी ऑनलाइन जमा करें। **बेची जाने वाली संपत्तियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया हैः वसूल की जाने वाली राशि (प्रतिभूत ऋण) और कब्जे का विवरण भी नीचे दी गई तालिका में वर्णित है।**

क्र. सं.	शाखा का नाम और खाता / कर्जदार का नाम	सम्पत्ति का विवरण और मालिक	बकाया राशि (प्रतिभूत ऋण) कब्जे की स्थिति और तिथि	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि एवं समय	प्राधिकृत अधिकारी का नाम और मोबाइल नं./जिससे बोलीदाता शाखा प्रबंधक से संपर्क कर सकता है
1	**बैंक ऑफ इंडिया – सेक्टर 50 नोएडा शाखा खाता – निर्भय कुमार पुत्र मन राज (उधारकर्ता/बंधककर्ता)**	**रिहायशी सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट सं. 278, प्रथम तल, ब्लॉक जी, सेक्टर एमयू 01, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश, 30.00 वर्ग मी., यह सम्पत्ति निर्भय कुमार पुत्र मनराज के नाम पर है।** चौहद्दीः उत्तर में – फ्लैट सं. 277, दक्षिण में – फ्लैट सं. 279, पूरब में – प्रवेश/सीढ़ियाँ, पश्चिम में – खुला	**रु. 10,60,963.98 + ब्याज और ब्याज की समाप्ति की तिथि से (उसके बाद जमा राशि को घटाकर यदि कोई हो) सांकेतिक कब्जा**	**रु. 13.68 लाख** **रु. 1.37 लाख** **रु. 0.14 लाख**	**09.12.2024** को पूर्वा. 11.00 बजे से अपरा. 04.00 बजे	वैभव केसरवानी 8130334222
2	**बैंक ऑफ इंडिया – सेक्टर 50 नोएडा शाखा खाता – 1. महमूद पुत्र मोहम्मद सलाम (उधारकर्ता/बंधककर्ता) 2. नगीना पत्नी महमूद (सह – उधारकर्ता / बंधककर्ता)**	**रिहायशी सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि मकान सं. 78 (पुराना नं. 91) मोहल्ला–मिर्जाजान, डासना गेट, तहसील और जिला–गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल 11. 07 वर्ग मी., यह सम्पत्ति महमूद पुत्र मोहम्मद सलाम और नगीना पत्नी महमूद के नाम पर है।** चौहद्दीः उत्तर में – आत्मा राम मल्होत्रा का मकान, दक्षिण में – एस पी शर्मा का मकान, पूरब में – 12.4 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम में – हंसराज तनेजा का मकान	**रु. 40,69,088.38 + ब्याज और ब्याज की समाप्ति की तिथि से (उसके बाद जमा राशि को घटाकर यदि कोई हो) सांकेतिक कब्जा**	**रु. 55.78 लाख** **रु. 5.58 लाख** **रु. 0.56 लाख**	**09.12.2024** को पूर्वा. 11.00 बजे से अपरा. 04.00 बजे	वैभव केसरवानी 8130334222

नियम और शर्तें

1) नीलामी बिक्री / बोली केवल ''ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया **https://www.ebkray.in/eauction-psb/bidder-registration** वेबसाइट के माध्यम से होगी।
2) नीलामी की तिथि और समय : **09.12.2024 (सुबह 11:00 बजे से अपरा 04:00 बजे तक** प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि **07.12.2024**
3) नीलामी आरक्षित मूल्य + पहले बोलीवृद्धि मूल्य जैसा कि बैंक की वैबसाइट पर उल्लिखित हैं, पर शुरू होगी। उपरोक्त सभी सम्पत्तियों के लिए बोलीदाता बैंक की वैबसाइट पर उल्लिखित गुणकों में अपनी बोली बढ़ाएँगे। संपत्तियों को आरक्षित मूल्य और प्रथम बोलीवृद्धि मूल्य से नीचे नहीं बेचा जाएगा।
4) इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल **https://www.ebkray.in/eauction-psb/bidder-registration** पर अपना नाम पंजीकृत करवाना है, जिसके पश्चात उन्हें उक्त पोर्टल पर ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। खरीदार अपने केवाईसी दस्तावेज, फोन नंबर और ईमेल आईडी वेबसाइट पर जमा करें।
5) संपत्ति को सभी मौजूदा या भविष्य के भारों के साथ बेचा जाएगा (यदि कोई)। प्राधिकृत अधिकारी संपत्तियों पर किसी तीसरे पक्ष के अधिकारों / दावों या बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
6) प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और सूचना के अनुसार, संपत्ति पर कोई भार नहीं है। इच्छुक बोलीदाताओं को ऋणभार/संपत्तियों के शीर्षक, सांविधिक दायित्व/कर देयता/संपत्ति कर के बकाया आदि के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। वेबसाइट **https://ebkray.in** पर लॉग इन करके संपत्तियों को देखा जा सकता है। संपत्ति के भौतिक निरीक्षण के लिए प्राधिकृत अधिकारी से कार्य समय के दौरान संपर्क किया जा सकता है।
7) सफल बोलीदाता/क्रेता संपत्ति की खरीद पर देय बिक्री मूल्य के 1% की दर से टीडीएस सहित सभी करों को वहन करेगा (यदि बिक्री मूल्य रु. 50 लाख/– और अधिक है) और ऑनलाइन बिक्री करने के लिए सेवा प्रदाता को देय कर। साथ ही बिक्री प्रमाण पत्र के निष्पादन के लिए देय शुल्क जैसे स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, आदि सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।
8) असफल बोलीदाता ईएमडी की वापसी के लिए स्वयं एमएसटीसी से संपर्क करेगा। ईएमडी की वापसी के लिए अधिकृत अधिकारी जिम्मेदार नहीं होंगे।
9) प्राधिकृत अधिकारी/बैंक उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और उसे किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई–नीलामी को स्थगित//रद्द करने या किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए नीलामी कार्यवाही से किसी भी संपत्ति या उसके हिस्से को वापस लेने का पूर्ण अधिकार है।
10) बिक्री प्रमाण पत्र केवल क्रेता/आवेदक के नाम पर जारी किया जाएगा और किसी अन्य नाम पर जारी नहीं किया जाएगा।
11) सफल बोलीदाता की बयाना राशि (ईएमडी) को आंशिक बिक्री प्रतिफल के रूप में रखा जाएगा। बयाना राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। सफल बोलीदाताओं को पहले से भुगतान की गई EMD सहित बिक्री मूल्य का 25%, अधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद/अगले कार्य दिवसों की समाप्ति से पहले और बिक्री मूल्य का शेष बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले जमा करना होगा। नीलामी बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है। सफल बोलीदाताओं द्वारा राशि जमा करने में चूक करने पर पहले से जमा की गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से नीलाम किया जाएगा और चूककर्ता बोलीदाताओं का संपत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।

इच्छुक बोलीदाता जो वेबसाइट के साथ पंजीकृत होना चाहते हैं और ईएमडी जमा करना चाहते हैं और लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई–बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता हेतु ग्राहक सेवा से 8291220220 या **support.ebkray@psballiance.com** पर संपर्क कर सकते हैं और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए प्राधिकृत अधिकारियों से उनके संबंधित फोन नंबरों पर या गाजियाबाद अंचल कार्यालय में 0120-2404135 पर संपर्क कर सकते हैं। बिक्री अधिकृत अधिकारियों द्वारा वेबसाइट **https://www.ebkray.in/eauction-psb/bidder-registration** पर उपलब्ध कराए गए ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

नोटः सभी इच्छुक बोलीदाता 05.12.2024 से 07.12.2024 तक केवल कार्य घंटों के दौरान एओ /शाखा से संपर्क करने के बाद संपत्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं / साइट पर जा सकते हैं और इसके बाद या उल्लिखित किसी भी पूर्व तिथि पर साइट विजिट के लिए कोई अनुरोध का स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया लिंक **https://www.bankofindia.co.in** देखें।

दिनांक 08.11.2024, स्थान : गाजियाबाद **प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ इंडिया**

---

30 सितम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों की विवरणी का सार

(करोड़ रूपए में)

क्र. सं.	विवरण	एकल						समेकित					
		समाप्त तिमाही			समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही			समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष
		30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024	30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024
		अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित
1	प्रचालनों से कुल आय	2,551.21	2,417.88	2,485.39	4,969.09	5,056.35	8,404.92	3,051.93	2,694.20	2,931.26	5,746.13	5,688.52	9,632.16
2	कर पूर्व निवल लाभ (असाधारण मद पूर्व)	1,265.52	1,331.66	1,174.01	2,597.18	2,470.45	4,295.48	1,674.50	1,507.32	1,618.31	3,181.82	3,012.50	5,043.42
3	कर पूर्व निवल लाभ (असाधारण मद पश्चात)	1,265.52	1,331.66	1,174.01	2,597.18	2,470.45	4,295.48	1,674.50	1,507.32	1,618.31	3,181.82	3,012.50	5,043.42
4	निम्न को आरोप्य अवधि हेतु कर पश्चात निवल लाभ												
	- मूल कंपनी के स्वामी	905.25	1,023.51	1,447.11	1,928.76	2,500.05	3,743.94	908.97	1,028.60	1,545.85	1,937.57	2,582.71	3,624.42
	- अनियंत्रित ब्याज	-	-	-	-	-	-	160.31	79.86	147.41	240.17	205.93	403.59
5	निम्न को आरोप्य अवधि हेतु कुल व्यापक आय [लाभ एवं अन्य व्यापक आय सहित (कर पश्चात)]:												
	- मूल कंपनी के स्वामी	900.07	1,034.60	1,456.94	1,934.67	2,534.29	3,718.98	903.63	1,039.55	1,555.46	1,943.18	2,616.53	3,598.89
	- अनियंत्रित ब्याज	-	-	-	-	-	-	160.18	79.72	147.21	239.90	205.53	403.04
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य 10/- रुपए प्रत्येक)	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03
7	पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को छोड़कर अन्य इक्विटी	28,656.00	28,258.18	27,445.19	28,656.00	27,445.19	27,223.58	30,103.93	29,699.26	29,020.11	30,103.93	29,020.11	28,657.41
8	निवल मूल्य	38,701.03	38,303.21	37,490.22	38,701.03	37,490.22	37,268.61	40,148.96	39,744.29	39,065.14	40,148.96	39,065.14	38,702.44
9	प्रदत्त ऋण पूंजी	32,483.81	31,739.40	30,095.44	32,483.81	30,095.44	31,431.33	36,227.50	35,101.54	32,127.02	36,227.50	32,127.02	34,578.00
10	ऋण इक्विटी अनुपात	0.84	0.83	0.80	0.84	0.80	0.84	0.90	0.88	0.82	0.90	0.82	0.89
11	प्रति शेयर आय (मूल एवं डायल्यूटेड) - (गैर–वार्षिकी) (इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य 10/- रुपए प्रत्येक)												
	- विनियामक आस्थगित लेखा शेष में गतिशीलता से पूर्व (₹ में)	0.87	0.96	1.42	1.83	2.44	3.49	0.80	0.94	1.46	1.74	2.45	3.21
	- विनियामक आस्थगित लेखा शेष में गतिशीलता के पश्चात् (₹ में)	0.90	1.02	1.44	1.92	2.49	3.73	0.90	1.02	1.54	1.93	2.57	3.61
12	पूंजी विमोचन आरक्षित	2,255.71	2,255.71	2,255.71	2,255.71	2,255.71	2,255.71	2,255.71	2,255.71	2,255.71	2,255.71	2,255.71	2,255.71
13	डिबेंचर (बॉण्ड) विमोचन आरक्षित	950.61	950.61	1,129.30	950.61	1,129.30	950.61	950.61	950.61	1,129.30	950.61	1,129.30	950.61
14	ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर)	1.33	3.16	5.59	1.89	3.92	2.82	1.49	3.29	6.59	2.05	4.39	3.03
15	ब्याज सेवा कवरेज अनुपात (आईएससीआर)	4.20	5.51	10.81	4.78	9.79	6.05	4.79	5.72	13.12	5.21	11.27	6.59
16	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

नोट :

1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 एवं 52 के अंतर्गत स्टॉक एक्स्च